

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पि त सि न अधिकारी : वत राम अरएएस.

अपी ल सं. 50/2020 (75 एलअरए) जोरसिंह बन म राजस्थान सरकार  
(ऑनल इन प्रकरण सं. 2020/00081)

जोरसिंह पित बसती लाल जाति बंजार निव सि अक्य गेहलत तहसील गंगधार

..... अपी लंट

बन म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड राजस्थान

..... रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार

दिनांक 08/09/2020 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 284/2020

उपस्थित :

- 1 अपी लंट की ओर से अधिवक्त श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत।
- 2 रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्त श्री मुकेश जैन।

निर्णय

दिनांक 12/02/2021

- 1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 284/2020 में परिित आदेश दिनांक 08/09/2020 के विरुद्ध इस न्ययलय में पेस की गई है।
- 2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्ययलय तहसीलदार गंगधार के संक्षेप धारा 91 राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 284/2020 पटवरी हल्का कुण्डल की रिपोर्ट पर बर्ज हुआ। प्रकरण बर्ज कर अधीनस्थ न्ययलय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया परंतु अधीनस्थ न्ययलय के उपस्थित नहीं हुआ प्रकरण में एक तत्प्रा कार्यवाही कर दिनांक 08/09/2020 को निर्णय परिित किया गया कि जोरसिंह अ0 बसती लाल जाति बंजार निव सि अक्य गेहलत तहसील गंगधार

गेहलेत तहसील गंगधार जिले अलवड द्वारा इस वर्ष संवत् 2077 में खसरा नं. 183 की 2 बीघा भूमि किस्म चरागाह पर कब्जा कर चरा काटकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण द्वारा गत वर्ष संवत् 2076 में अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एलअरएक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 708 निर्णय दिनांक 11.11.2019 से बेदखल किया गया था एवं रु. 110 शास्ति कायम की गई थी अतिक्रमण द्वारा पुनः इस वर्ष भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चतवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पटवरी हल्का कुण्डल के बयन लिखे जाकर शामिल पत्रवली कराए गए। पटवरी हल्का के बयन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थी को एलअर. एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम अक्य गेहलेत की अराजी खसरा नं. खसरा नं. 183 की 2 बीघा भूमि किस्म चरागाह पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही लगान 2.20 का 50 गुणा 110 रु. पेनल्टी कायम की जाती है। फसल को जप्त राज करवा कर नीलमी के आदेश दिये जाते हैं। राशि की मांग कायम पटवरी व टी.अर.ए. को करवाई जावे साथ ही अप्रार्थी का ग्राम अक्य गेहलेत की खसरा नं. 183 की 2 बीघा भूमि किस्म चरागाह पर पश्चतवर्ती अतिक्रमण सबित होने के कारण अप्रार्थी को एक मह (30 दिन) के सिविल कारावास सजायब किया जाता है। वरंट गिरफ्तारी थानधिकारी गंगधार को भिजवाए गए। जिससे धरियत होकर अपीलेंट ने इस न्ययलय में अपील पेश की है।

3. उक्त अपील दर्ज की जाकर रेषों को जरिए समन तलब किया गया। अधीनस्थ न्ययलय का अभिलेख मांगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उक्त अधीनस्थ न्ययलय की बहस सुनी गई।
4. अपीलेंट की ओर से अधिवक्त श्री सुरेन्द्रसिंह राजावत ने अपील मीमे में वर्णित कथन को बहसते हुए बहस में कथन किया कि सही अपीलेंट को विधिवत तमील नहीं हुई, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्ययलय ने कोई स्वतंत्र सक्षय नहीं ले और न कोई जांच की। कोषल रिपोर्ट पटवरी की सक्षय के आधार पर निर्णय दिया है तथा एक ही दिन में निर्णय पारित कर दिया है जो कानून के खिलाफ है। अपीलेंट को फिर एक फीस चुनवाई की जाकर निर्णय पारित कराने प्राकृतिक न्यय के सिद्धांतों सर्वथा विपरित होने से निरास्त होने योग्य है। अपीलेंट का जमिन पर कब्जा नहीं है, पहले भी नहीं था उक्त भूमि पर से चरा काटने का आदेश बतया गया है जो स्याकर गलत व झूठ है। अपीलेंट भक्रिय में भी कब्जा नहीं करेगा इस बात की अप्रारंभिक पेश करने को तैयार है। अपीलेंट को अधिवक्त ने यह भी निवेदन किया कि उक्त तथ्यों को न्यय नजर अपील अपीलेंट स्वीकार करनकर अधीनस्थ न्ययलय का निर्णय दिनांक 08.09.2020 अपस्त किया

जावे।

5. रेस्पोंडेंट की ओर से अधिवक्त पौरोकार सरकार बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्ययलय ने अपीलधीन अदेश विधि अनुसार पारित किये हैं जिसे कोई त्रुटि नहीं है। अपील अतिक्रम है जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रवली पर उपलब्ध है तथा पटवरी हल्का की सक्षय ले गई है जो पर्याप्त है। कब्जा छोड़ने का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किये हैं। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किये।
6. उभयपक्ष के अधिवक्त गण की बहस पर मनन किये गये एवं उपलब्ध अभिलेख का अद्योपंत गंभीरत पूर्वक अध्ययन किये गये।
7. अपील अंत के अधिवक्त ने अपील में पहल तर्क यह दिये हैं कि अधीनस्थ न्ययलय द्वारा अपील अंत को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्ययलय की पत्रवली के अलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्ययलय द्वारा अपील अंत को विधिवत रूप से नोटिस जारी किये गये हैं, जो वे बवहन की मेजुदगी में अपील अंत के घर पर चम्पू किये गये। इसलिए अपील अंत के अधिवक्त यह तर्क मनने योग्य नहीं है।  
अपील अंत के अधिवक्त ने अपील में दूसरा तर्क यह दिये हैं कि अपील अंत को परचतवर्ती अतिक्रम मन जाकर भूल की गई है। अधीनस्थ न्ययलय की पत्रवली में संलग्न बयान पटवरी से निर्णय दिनांक 08.09.2020 में यह स्पष्ट किये गये हैं कि अपील अंत द्वारा सन्वत 2076 में भी उक्त आसजीयत पर अतिक्रम किये गये थे जिस पर से उसे दिनांक 11.11.2019 को बेदखल कर 110 रु० की शास्ति से दण्डित किये गये थे, अपील अंत द्वारा पुनः सन्वत 2077 में अतिक्रम किये हैं इसलिए वकील अपील अंत का दूसरा तर्क भी मनने योग्य नहीं है।
8. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्ययलय द्वारा नोटिस की तमिल मन्कर एक प्रतिलिपि जारी की गई है, अपील अंत के अधिवक्त ने जो तर्क दिये हैं कि नोटिस की प्रोपर तमिल नहीं करवाई गई—इस संबंध में अधीनस्थ न्ययलय ने जो तमिल मने है, उसको तमिल नहीं मनने के संबंध में भी कोई ठोस सक्षय सिद्धांत अधिवक्त द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तमिल को मुख्य आधार मन जान तर्क संगत नहीं है, यह मात्र तमिली/प्रक्रियामुक्त त्रुटि मने जा सकती है। अपील अंत उक्त आसजीयत पर कब्जा नहीं होने भी बात रत है एवं दूसरी ओर सुनिश्चित शपथ भी जम कर रहा है। उक्त आसजीयत अपील अंत का परचतवर्ती अतिक्रम होने भी अधीनस्थ न्ययलय की पत्रवली में उपलब्ध दस्तावेजात से होती है। चूंकि अपील अंत द्वारा सन्वत 2076 में भी उक्त आसजीयत पर अतिक्रम किये गये थे जो परचतवर्ती अतिक्रम की श्रेणी में अंत है। अपील अंत द्वारा इस अपील में जो अक्षेप उठये गये हैं, उनमें भी ऐसे कोई कागजी

किन्तु नहीं है, जिस्के आधार पर अधीनस्थ न्ययालय तहसीलदार गंगधार द्वारा परित  
निर्णय दिनांक 08/09/2020 में हस्तक्षेप किये जा सके। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत  
अपील सरहीन एवं अधारहीन प्रति त होने से खासिज किये जाने योग्य है।

- 9 अतः अपील अपीलान्त सरहीन एवं अधारहीन होने से खासिज की जाती है।

(वतरम)

अतिरिक्त जिल कलक्टर

अलयड

- 10 निर्णय अज दिनांक 12/02/21 को लिखाय जाकर खुले न्ययालय में सुनाय गय।

(वतरम)

अतिरिक्त जिल कलक्टर

अलयड